

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2010/TG-I/20/P/Quota

New Delhi, dated 14.11.2013

**Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

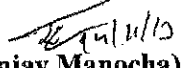
(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 69 OF 2013)

Sub: Distribution of reservation quota in Yuva trains.

Please refer to this office letter of even number dated 09.12.2011 (CC No. 66 of 2011) on the subject quoted above wherein it has been advised that the quota distribution between Yuva & general quota category in Yuva trains should be revised to 20% of the total accommodation (rounded off to next higher whole number in case of fraction) for Yuva and remaining approximately 80% for General category.

2. The matter has been further reviewed keeping in view the utilization pattern and it has been decided that the quota distribution between Yuva & general quota category in Yuva trains should be revised to 10% of the total accommodation (rounded off to next higher whole number in case of fraction) for Yuva and remaining approximately 90% for General category.

3. Necessary action may kindly be taken by CCMs/Western, Northern and Eastern Railways to revise the quota distribution of Yuva trains at the earliest but not later than 01.12.2013.


(Sanjay Manocha)

**Dy. Director Traffic Commercial (G)-II
Railway Board**

Copy to:

- 1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
- 2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
- 3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
- 4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
- 5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
- 6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
- 7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
- 8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
- 10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

संख्या 2010/टी जी-1/20/पी/कोटा

नई दिल्ली, दिनांक 14.11.2013

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

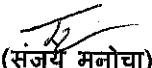
(2013 का वाणिज्य परिपत्र संख्या 69)

विषय:- युवा गाड़ियों में आरक्षण कोटे का वितरण।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 9.12.2011 के समसंख्यक पत्र (2011 का वाणिज्य परिपत्र सं. 66) का अवलोकन करें जिसमें कहा गया है कि युवा गाड़ियों में युवा और सामान्य कोटे की कोटि के बीच कोटे के वितरण में संशोधन करके युवा के लिए कुल स्थान का 20% (यदि संख्या भिन्न में हो तो उसे अगले पूर्णांक में बदल दिया जाएगा) और सामान्य कोटि के लिए शेष अर्थात् लगभग 80% किया जाए।

2. उपयोग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस मामले की फिर से समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि युवा गाड़ियों में युवा और सामान्य कोटे की कोटि के बीच कोटे के वितरण में संशोधन करके युवा के लिए कुल स्थान का 10% (यदि संख्या भिन्न में हो तो उसे अगले पूर्णांक में बदल दिया जाएगा) और सामान्य कोटि के लिए शेष अर्थात् लगभग 90% किया जाए।

3. मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे द्वारा कृपया युवा गाड़ियों के कोटे के वितरण में संशोधन करने के लिए शीघ्र परन्तु 01.12.2013 तक आवश्यक कार्रवाई की जाए।


(संजय मनोचा)

उप निदेशक यातायात वाणिज्य (सा) ॥

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), वि.का.अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरनगर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011.
- 8) महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
- 9) महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 10) महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71